

29-11-18

वकील अपी. या स्वयं अपी. कोई उपस्थित नहीं
है। अपी. को बार-बार आवाजें दिलाई गई।
अपी. की आरसे कोई उपस्थित नहीं है। अतः
अपील अपीलान्त अदम क्षत्री व अदम पेशवी
में श्वारिज की जाती है। पञ्जावली फैसलेशुभार
होकर बाद तक भील जावता दाश्वील इफ्तरी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर